



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 253) पटना, शुक्रवार, 6 मार्च 2026

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

कार्यालय आदेश
23 दिसम्बर 2025

संचिका संख्या-16-01-15-2025/पी05-280—बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-539, दिनांक-10.07.2025 द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2024 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन बिहार पुलिस आशु संवर्ग के अंतर्गत आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-05 एवं समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	अनुक्रमांक	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	अनुशंसित कोटि/ मूल कोटि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री गुड्डू कुमार	उपेन्द्र सिंह	ग्राम-बसडीहाँ टोला, पोस्ट-बसडीहाँ, थाना-दिनारा, जिला-रोहतास	2601	20	10.05. 2001	<u>BC-OH</u> <u>BC-OH</u>
2	सुश्री पार्वती कुमारी	दशरथ शर्मा	ग्राम-भलुआड़ी, पोस्ट-शंकरपुर बडिहा, थाना-इंद्रपुरी, जिला-रोहतास	1904	24	11.11. 1998	<u>GEN</u> <u>EBC</u>
3	श्री राजा हटवे	प्रेम नारायण हटवे	ग्राम-रूपौलिया, पोस्ट-गौनाहा, थाना-गौनाहा, जिला-पश्चिम चम्पारण	2623	52	09.01. 1995	<u>ST-OH</u> <u>ST-OH</u>

- (i) यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना

पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

- (ii) बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं संकल्प सं०-768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- (iii) सभी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में अपना योगदान समर्पित करेंगे।
- (iv) अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (v) अभ्यर्थियों द्वारा फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (vi) पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में विरमन आदेश/त्यागपत्र स्वीकृति आदेश समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आदेश से,
राजेन्द्र कुमार भील,
पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 253-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>